बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **आदेश** ::

आदेश संख्या–11/आ०–न्या–14/2012 सा०प्र० ..11218.. पटना–15, दिनांक– 12/08/2014

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल)–61/2002, एम० नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखी जाए।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी०सं०–19114/2012 सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.08.2014 को पारित न्याय निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नांकित है :–

''In view of the urgency due to the issue involved relating to reservation in promotion, as has been decided by the impugned resolution at Annexure-13, put up this case" for hearing''as a 1st case subject to part-heard on 8th September, 2014.

Till further order, the operation of the resolution at Annexure-13 shall remain stayed." याचिका के Annexure-13 में उपर्युक्त संकल्प संख्या–11635 दिनांक 21.08.2012 संलग्न है ।

उपर्युक्त स्थगनादेश का राज्य की आरक्षण नीति के संबंध में महत्ता को देखते हुए सरकार ने विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उक्त स्थगनादेश को रद्द करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया जाए । इस बीच विभिन्न सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति के संबंध में प्रशासनिक अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक हित में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी ।

यह आदेश तुरत प्रभावी होगा ।

(राजेन्द्र राम) 12/8/2014

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 11/आ०–न्या–14/2012 सा०प्र० ..11218../पटना, दिनांक– 12/08/2014

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलबध करायी जाए।

सरकार के अपर सचिव 12/8/2014

ज्ञापांक – 11/आ०–न्या–14/2012 सा०प्र० 11218.../पटना, दिनांक– 12/08/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रेवश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सीपाही भर्ती), पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पअना/ सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

12/8/2014

सरकार के अपर सचिव